न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–73/17

1. रोशनअली पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी कलां हाल चक 10 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 05.03.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 7 केएलडी हाल चक 10 केएलडी 'ए' के मु0नं0 239/3 के किलानं0 1 ता 20 की 20 बीघा भूमि बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन व किला नं0 21 ता 25 की 5 बीघा भूमि बतौर स्मालपेच आवंटन प्रार्थी के नाम से आवंटित की गई थी। जिसकी समस्त किश्तें प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई है। उक्त आवंटन शुदा भूमि में से किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक किला में 3–3 बिस्वा कुल 15 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी ने अपने रिकार्ड में बतौर रास्ता दर्ज कर दिया जिसपर वर्तमान में आवागमन हेतु पक्की सड़क है। परन्तु इस रास्ते के मौजूद होते हुए भी किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी ने अपने रिकार्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के न्यायिक आदेश के बतौर रास्ता दर्ज कर दिया जबकि नियमानुसार एक मुरब्बे में एक रास्ता अथवा एक खाला कायम करने के प्रावधान है। उक्त रास्ता वर्तमान में ना तो मौके पर चालू है और ना ही कभी आवागमन के काम आया है। परन्तु रिकार्ड व मौके की स्थिति में अन्तर होने के कारण प्रार्थी की आवंटनशुदा कब्जेकाश्त की भूमि का रिकार्ड में प्रार्थी के नाम का सही अंकन नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी ने आवंटनशुदा कब्जेकाश्त की भूमि चक 10 केएलडी 'ए' के मु0नं0 239/3 किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि को रिकार्ड में दुरूस्ती कर रास्ते के स्थान प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार दर्ज की जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार खाजूवाला ने जवाब/रिपोर्ट अनुसार वर्तमान रिकार्ड के अनुसार 1,10,11,20 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा तथा 21 में 5 बिस्वा, 22 ता 25 प्रत्येक में 3–3 बिस्वा कुल 1.05 बीघा पगडंडियॉ तथा रास्ते (चारागाह के लिए नहीं) दर्ज है और तहसीलदार खाजूवाला ने जवाब/रिपोर्ट के विशेष में बताया कि चक 10 केएलडी 'ए' के मु0नं0 239/3 में रिकार्ड अनुसार स्थिति रखी जावे तो उचित होगा। प्रार्थी द्वारा नकल आवंटन पत्रावली, आवंटन पट्टा व भूमि के किश्तों की रसीदें व टीआरए सेल रजिस्टर की तस्दीक पेश की और ग्राम पचांयत कुण्डल का अनाप्ति प्रमाणपत्र पेश किया गया और अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 136 एल0आर0ए0 में पेशकर अनुतोष उक्त भूमि का पुनः खातेदार दर्ज करने का चाहा है। जबकि धारा 136 एल0आर0ए0 में केवल दुरस्त या शुद्धि करने का अधिकार है और वह जब रिकार्ड में अमलदरामद होने के बाद कोई लिपिकीय या पैन त्रुटि से स्थिति में बदलाव आ जाता है तो पहले की स्थिति पुनः लाने के लिए दुरस्त प्रार्थना–पत्र लाया जा सकता है। उक्त प्रकरण में आवंटन होना सही हो सकता है लेकिन अमलदरामद करते वक्त क्या पट्टे मुताबिक दर्ज हुआ और बाद में रास्ता कटान हुआ जो जनउपयोगी नहीं होने के कारण निरस्त किया जा सकता है। परन्तु प्रार्थी ने यह कही साबित नहीं किया की रिकार्ड में समस्त भूमि आवंटन आदेश मुताबिक दर्ज हुई और खातेदारी जारी की गई बाद में गलत अंकन हुआ। यह साबित करने का भार प्रार्थी पर था। जो पत्रावली पर कहीं उपलब्ध नहीं है केवल 136 एल0आर0ए0 के प्रार्थना पत्र पर किस्म परिवर्तन कर प्रार्थी को खातेदार दर्ज करने के आदेश नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी को अनुतोष लेना है तो घोषणात्मक वाद ला सकता है तथा हित एवं टाईटल की घोषणा बगैर दुरस्ती कर खातेदार दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 की परिधि में नहीं होने के कारण खरिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **05.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 12:21:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: